भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव

सं. 437/6/अनुदेश/2015-सीसीएस दिनांक: 29 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

1. मंत्रिमण्डल सचिव,
   मंत्रिमण्डल सचिवालय,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।
2. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
   के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले भवन/सिविल संरचनाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करना-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 के परिपत्र सं. 3/7/2008-जे.एस-II को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निदेश दिया गया है कि किसी भी सरकारी परिसरों अथवा सिविल संरचनाओं में निर्वाचन पोस्टरों, होर्डिंगों, बैनरों आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आयोग के नोटिस में यह आया है कि राजनीतिक दल निर्वाचन अवधि के दौरान अपने निर्वाचन प्रचार के लिए सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के स्वामित्व वाले भवनों/सिविल संरचनाओं तथा/अथवा परिसरों पर अपने पोस्टर, बैनर आदि प्रदर्शित करते रहे हैं/चिपकाते रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के उद्देश्य से पीएसयू के भवनों और परिसरों को भी सरकारी परिसरों की तरह समझा जाएगा। आयोग ने निदेश दिया है कि आदर्श आचार संहिता के लागू रहने के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के स्वामित्व वाले भवनों/सिविल संरचनाओं पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे/चिपकाए नहीं जाएंगे।

यदि पीएसयू की उप-विधियों में या विज्ञापन एजेंसियों, जिनको विज्ञापन हेतु स्थान किराए पर, दिया गया है, के साथ उनके अनुबंधों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित करना निषिद्ध है तो पीएसयू को अनुदेश दिए जा सकते हैं कि वे व्यावसायिक विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन एजेंसियों को लीज पर स्थान उपलब्ध कराते समय व्यावसायिक एजेंसियों/कंपनियों के साथ उनके व्यावसायिक अनुबन्धों में एक पैरा जोड़ दे कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान व्यावसायिक विज्ञापन देने के लिए लीज पर उपलब्ध स्थान जैसे-हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, राज्य/स्थानीय बस स्टैण्डों, सरकारी बस अड्डों, डाक घरों, सरकारी अस्पतालों/चिकित्सालयों आदि (मुख्य राजमार्गों, मुख्य सड़कों आदि को छोड़कर) पर कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे/चिपकाए नहीं जाएंगे। यदि प्रदत्त स्थान में कोई राजनीतिक विज्ञापन है तो आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर इसे तत्काल हटा दिया जाएगा।''

यह अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी निर्वाचन में पीएसयू के परिसरों में किसी भी रूप में राजनीतिक विज्ञापन का प्रदर्शन न हो।

भवदीय,

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/अनुदेश/2012-सीसी एवं बीई दिनांक 18 जनवरी, 2012

सेवा में

1. मत्रिमंडल सचिव,
   मत्रिमंडल सचिवालय,
   राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों
   के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: सम्पत्ति तथा प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री के विरूपण की रोकथाम - संशोधित अनुदेश- तत्सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधान दिनांक 24 दिसंबर, 2011 से लागू हो गए हैं। आयोग ने **'निजी स्थानों के विरूपण'** शीर्ष के अधीन पैरा 5 में निहित अपने पत्र सं. 3/7/2008/जेएस-II दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 (प्रति संलग्न) के द्वारा जारी अपने अनुदेशों को दोहराने का निर्णय लिया है जो निम्नानुसार है-

<u>उप-पैरा (घ)</u> "किसी स्थानीय कानून अथवा वहां लागू न्यायालय के किसी आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की शर्तों के अधीन राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी स्वयं की सम्पत्ति पर बैनर, बंटिंग, फ्लैग, कट आउट लगा सकते हैं बशर्ते कि वे ऐसा स्वयं की इच्छा से और किसी दल, संगठन अथवा व्यक्ति के दबाव के बिना करें और बशर्ते कि इनसे किसी और व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि इस प्रकार के

बैनर, फ्लैग आदि का लक्ष्य किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी की धारा 171एच के प्रावधान लागू होंगे और इनकी पालना की जानी होगी। आईपीसी की धारा 171एच में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सामान्य अथवा विशेष प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन का प्रचार करने के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करके अथवा किसी विज्ञापन, परिपत्र अथवा प्रकाशन अथवा किसी अन्य प्रकार से व्यय करता है अथवा व्यय करने का प्राधिकार देता है तो उसे जुर्माना लगा कर दंडित किया जाएगा जो कि पांच सौ रुपये तक हो सकता है; बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना प्राधिकार के यह व्यय किया है, जो दस रुपये से अधिक नहीं है, ऐसा व्यय किए जाने से दस दिन के अंदर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है तो उसके द्वारा यह व्यय अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया गया माना जाएगा"।

भवदीय,

(के.एन. भार)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/7/2008-जेएस-II दिनांक 07 अक्टूबर, 2008

सेवा में

1. सचिव, भारत सरकार
   गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
2. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों
   के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: सम्पत्ति तथा प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री के विरूपण की रोकथाम - संशोधित अनुदेश-तत्सम्बन्धी।

मुझे निर्वाचन प्रचार के संबंध में सम्पत्ति के विरूपण को रोकने के संदर्भ में आयोग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के पत्र सं. 3/7/2008-जेएस-II का संदर्भ आमंत्रित करने का निदेश हुआ है।

2. पूर्व में आयोग ने सम्पत्ति के विरूपण के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष कानून अधिनियमित किए जाने का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों ने सम्पत्ति के विरूपण को शासित तथा विनियमित करने के लिए विशेष कानून अधिनियमित किए हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे कानून हैं जिनके तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्र जैसे नगरपालिका आदि शामिल किए गए हैं अथवा इस संबंध में कोई कानून नहीं है। आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों में इस संदर्भ में स्थिति का तालिकावार विवरण इस परिपत्र के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई सूची में संलग्न है (अनुलग्नक-1 के रूप में चिह्नित)। चूंकि पूरे देश में इस संबंध में कोई एक कानून नहीं है, इसलिए लागू किए जाने वाला कानून अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। 2009 में होने वाले लोक सभा के साधारण निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन के दौरान सुचारू ढंग से प्रचार के लिए और उन सभी प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, जिन पर फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है और प्रेक्षकों के लिए भी जिन्हें विभिन्न राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की निगरानी के

लिए तैनात किया जाता है, सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश बनाना आवश्यक हो गया है।

3. इस मामले के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद आयोग ने पूर्व के अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों और संगठनों आदि द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:

सार्वजनिक स्थानों का विरूपण

4. (क) किसी सरकारी भवन (उसमें सिविल संरचना सहित) में दीवार पर लिखने, पोस्टर/कागज चिपकाने अथवा किसी और रूप में विरूपण अथवा कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि लगाने/प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। इस उद्देश्य से सरकारी भवन में वह सरकारी कार्यालय तथा कैम्पस शामिल होगा जहां कार्यालय का भवन स्थित है।

(ख) यदि किसी स्थानीय कानून में पैसे का भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से किसी सार्वजनिक स्थान (जैसे किसी सरकारी भवन में) पर स्लोगन लिखने, पोस्टर लगाने आदि के लिए अथवा कट आउट, होर्डिंग, बैनर, राजनैतिक विज्ञापन आदि लगाने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है तो कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार और इस विषय में न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हो, के अनुसरण में ही इसकी अनुमति दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे किसी स्थान पर किसी विशेष दल (दलों) अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का दबदबा/एकाधिकार न हो। इस संबंध में सभी दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाना चाहिए।

(ग) यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित कोई स्थल है जैसे बिल बोर्ड, होर्डिंग आदि और यदि इस स्थान को व्यक्तिगत ग्राहकों को आगे आवंटित करने के लिए किसी एजेंसी को भुगतान पर दे दिया गया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित नगरपालिका अधिकारी, यदि कोई हो, के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थलों तक सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों की समान पहुंच हो।

निजी स्थानों का विरूपण

5. (क) जिन राज्यों में इस विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है वहां बिना किसी शर्त के और जिन राज्यों में कानून है वहां कानून के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के शर्त के अधीन निजी भवनों

में भवन के मालिक की स्वैच्छा से अनुमति लेकर अस्थायी तथा आसानी से हटाई जा सकने वाली विज्ञापन सामग्री जैसे फ्लैग और बैनर लगाए जा सकते हैं। यह अनुमति स्वैच्छा से दी जानी चाहिए और दबाव डाल कर अथवा धमकी देकर नहीं ली जानी चाहिए। ऐसे बैनर अथवा फ्लैग से दूसरे लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में फ्लैग और बैनर लगाने के 3 दिन के अंदर इस संबंध में लिखित में स्वैच्छा से ली गई अनुमति की छायाप्रति, नीचे उप-पैरा (ग) में दी गई पद्धति से रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) यदि स्थानीय कानून में दीवार पर लिखने, पोस्टर चिपकाने और ऐसी किसी और स्थायी/अर्द्ध-स्थायी वस्तु से विरूपण, जो आसानी से हटाया न जा सकता हो, की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी गई है तो किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं किया जाएगा, चाहे सम्पत्ति के मालिक से सहमति भी ले ली गई हो। यह उन राज्यों पर भी लागू होगा जहां सम्पत्ति के विरूपण को रोकने के लिए कोई स्थानीय कानून नहीं है।

(ग) जहां स्थानीय कानून में भवन के मालिक की अनुमति से निजी भवनों में दीवार पर लिखने तथा पोस्टर चिपकाने, होर्डिंग, बैनर लगाने आदि के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है वहां संबंधित प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल सम्पत्ति के मालिक से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करेगा और संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-2 के रूप में) में विवरण के साथ इस अनुमति की छायाप्रतियां अनुमति प्राप्त करने के 3 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों में और ऊपर उप-पैरा (क) में उल्लिखित मामलों में विवरण में जिस भवन स्वामी से अनुमति ली गई है उसका नाम और पता और इस प्रयोजन से किए गए अथवा होने वाले संभावित व्यय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे लिखित प्रचार/प्रदर्शन में ऐसा कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं होगी जो भड़काऊ हो अथवा समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार अभ्यर्थी के विशिष्ट प्रचार अभियान में किए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। किसी अभ्यर्थी का उल्लेख किए बिना विशेष रूप से एक दल के लिए किए गए प्रचार अभियान पर हुए व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी गांव/स्थान/नगर-वार सूचना आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के 3 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी को देगा जिससे रिटर्निंग ऑफिसर अथवा निर्वाचन प्रेक्षक अथवा निर्वाचन के आयोजन से जुड़े किसी अधिकारी द्वारा इसकी जांच में आसानी हो।

(घ) किसी स्थानीय कानून अथवा वहां लागू न्यायालय के किसी आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की शर्तों के अधीन राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी

स्वयं की सम्पत्ति पर बैनर, बंटिंग, फ्लैग, कट आउट लगा सकते हैं बशर्ते कि वे ऐसा स्वयं की इच्छा से और किसी दल, संगठन अथवा व्यक्ति के दबाव के बिना करें और बशर्ते कि इनसे किसी और व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि इस प्रकार के बैनर, फ्लैग आदि का लक्ष्य किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी की धारा 171एच के प्रावधान लागू होंगे और इनकी पालना की जानी होगी। आईपीसी की धारा 171एच में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सामान्य अथवा विशेष प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन का प्रचार करने के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करके अथवा किसी विज्ञापन, परिपत्र अथवा प्रकाशन अथवा किसी अन्य प्रकार से व्यय करता है अथवा व्यय करने का प्राधिकार देता है तो उसे जुर्माना लगा कर दंडित किया जाएगा जो कि पांच सौ रुपये तक हो सकता है; बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना प्राधिकार के यह व्यय किया है, जो दस रुपये से अधिक नहीं है, ऐसा व्यय किए जाने से दस दिन के अंदर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है तो उसके द्वारा यह व्यय अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया गया माना जाएगा।

हॉल/ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण

6. सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/पीएसयू/कॉओपरेटिव के स्वामित्व में/नियंत्रण में हॉल/ऑडिटोरियम/बैठक स्थल के मामले में यदि उनके प्रयोग को शासित करने वाला कानून/दिशानिर्देश इनमें राजनैतिक बैठकों पर रोक नहीं लगाते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनका आवंटन समान आधार पर किया जाए और किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी का एकाधिकार न हो। ऐसे स्थानों पर लागू कानून/दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंध के शर्त के अधीन बैठक के दौरान बैनर, बंटिंग, फ्लैग, कट-आउट की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे बैनर, फ्लैग आदि भवन का प्रयोग करने वाले दल/व्यक्ति द्वारा बैठक समाप्त होते ही तुरंत और किसी भी स्थिति में बैठक के बाद उचित अवधि के अंदर हटा लिए जाएंगे। ऐसे भवनों में स्थायी/अस्थायी विरूपण जैसे दीवार पर लिखने/पोस्टर चिपकाने आदि की अनुमति नहीं होगी।

7. यदि कोई राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति स्थानीय कानून, यदि कोई हो, अथवा उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में किसी सम्पत्ति के विरूपण में शामिल होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी उल्लंघनकर्ता को तुरंत विरूपण को हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि वह राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति तुरंत जवाब नहीं देता तो जिला प्राधिकारी विरूपण को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय विरूपण के लिए जिम्मेदार राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त इस राशि को संबंधित अभ्यर्थी के

निर्वचन व्यय में भी जोड़ा जाएगा और संगत कानून (विरूपण पर रोक लगाने से संबंधित कानून के तहत, यदि कोई हो, अथवा दूसरों की सम्पत्ति को जान-बूझ कर नुकसान पहुंचाने के लिए सामान्य कानून के प्रावधानों के तहत) दोषी पर अभियोग चलाने के लिए कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

वाहनों का विरूपण

8. (क) निजी वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम, इसके तहत नियमों और न्यायालय के लागू आदेशों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अध्यधीन वाहन के मालिक द्वारा अपनी स्वयं की इच्छा से अपने वाहन पर कोई फ्लैग और स्टीकर लगाया जा सकता है बशर्ते कि इससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो। यदि इस प्रकार फ्लैग और स्टीकर लगा कर किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगा गया हो तो आईपीसी की धारा 171एच के प्रावधान लागू होंगे और इनका पालन किया जाना होगा।

(ख) व्यावसायिक वाहनों पर किसी फ्लैग, स्टीकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर से आवश्यक अनुमति लेकर निर्वाचन प्रचार के लिए वैध रूप से प्रयोग किया जा रहा वाहन न हो और उसकी विंड-स्क्रीन पर मूल परमिट न लगाया गया हो।

(ग) लाउडस्पीकर लगाने सहित वाहन में बाह्य परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के और अन्य किसी स्थानीय अधिनियम/नियम के प्रावधानों की शर्त के अधीन होगा। परिवर्तन किए गए वाहनों और विशेष प्रचार वाहनों जैसे रथ आदि का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति लेने के बाद ही किया जा सकता है।

अन्य प्रचार संबंधी सामग्री

9. व्यय के लेखांकन की शर्त पर निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है:-

(क) जुलूस और रैली आदि में स्थानीय कानून तथा लागू निषेद्धात्मक आदेशों की शर्त के अधीन फ्लैग, बैनर, कट-आउट आदि ले जाए जा सकते हैं;

(ख) ऐसे जुलूसों में दल/अभ्यर्थी द्वारा दी गई विशेष वस्तुओं जैसे टोपी, मास्क, स्कार्फ आदि की अनुमति दी जा सकती है। तथापि दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्त्रों जैसे साड़ी, शर्ट आदि दिए जाने की अनुमति नहीं है।

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं और उनके ग्राउंड {सरकार से सहायता प्राप्त, निजी अथवा सरकारी} का राजनैतिक प्रचार और रैलियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

10. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आयोग के निदेश सूचना तथा अनुपालना हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों और निर्वाचन से संबंधित सभी प्राधिकारियों, राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य दलों की राज्य इकाइयों और राज्य में आधारित सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त दलों सहित सभी राजनीतिक दलों और प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों के भी (निर्वाचन के समय) ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

11. कृपया इस पत्र की पावती भेजें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृपया इसकी पुष्टि करें कि उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई की गई है।

भवदीय,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

अनुलग्नक-1

सम्पत्ति का विरूपण - कानून

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिनियम/ नियम का नाम	प्रयोज्यता
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सार्वजनिक स्थल विरूपण निवारण तथा अश्लील एवं आपत्तिजनक पोस्टर तथा विज्ञापन निषेध अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
2	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
3	बिहार	बिहार प्रदेश सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
4	छत्तीसगढ़	राज्य द्वारा अलग से कोई कानून/अधिनियम नहीं बनाया गया है। परंतु मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 राज्य में लागू है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
5	गोवा	वर्ष 1992 और 2001 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित गोवा सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1988	यह पूरे राज्य में लागू है।
6	हरियाणा	वर्ष 1996 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित हरियाणा सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1989	यह पूरे राज्य में लागू है।
7	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 1985	यह पूरे राज्य में लागू है और यह शिमला नगर निगम के क्षेत्र में अविलम्ब

			लागू होगा और राज्य के शेष भाग में उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे।
8	झारखंड	अलग से कोई कानून/अधिनियम नहीं है परंतु बिहार सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1985 राज्य में लागू है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
9	जम्मू-कश्मीर	1985 का जम्मू-कश्मीर सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम सं. XIX	यह पूरे राज्य में लागू है।
10	कर्नाटक	वर्ष 1983 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित कर्नाटक सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 1981	यह कर्नाटक नगर निगम अधिनियम -1976 अथवा 5.5.81 तक किसी भी कानून के तहत गठित अथवा जारी रखे गए बंगलुरू, मैसूर, हुबली, धारवाड़, मैंगलोर और बेलगांव में लागू होगा और कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम - 1964 अथवा किसी अन्य कानून के तहत गठित अथवा जारी रखी गई नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों, सैनिटरी बोर्डों अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना

			द्वारा घोषित करे।
11	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994	यह पूरे राज्य में लागू है।
12	महाराष्ट्र	सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम के संबंध में 1995 का महाराष्ट्र अधिनियम सं. VIII	अधिनियम लागू होने के क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
13	मिजोरम	मिजोरम सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1995	यह पूरे राज्य में लागू है।
14	नागालैंड	नागालैंड सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1995	यह असम जनजातीय क्षेत्र (टाउन) समिति प्रशासन) विनियमन, 1950 के तहत गठित अधिसूचित क्षेत्रों अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे।
15	पंजाब	पंजाब सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1998	यह पूरे राज्य में लागू है।
16	सिक्किम	सिक्किम सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1988	यह पूरे राज्य में लागू है।
17	तमिलनाडु	1992 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित तमिलनाडु सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 1959	यह पूरे राज्य में लागू है।

18	त्रिपुरा	राज्य में अब लागू त्रिपुरा (सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम) संशोधन अधिनियम, 1998 के साथ त्रिपुरा सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976	यह पूरे राज्य में लागू है और पहले यह अगरतला शहर की नगरीय सीमा में लागू होगा परंतु राज्य सरकार समय-समय पर राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्रों अथवा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इसे लागू कर सकती है।
19	उत्तराखंड	उत्तरांचल सार्वजनिक सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 2003	यह पूरे राज्य में लागू है।
20	अंडमान एवं निकोबार	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1987	यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पूरे संघ शासित क्षेत्र में लागू है।
21	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976 लागू किया गया है	यह पूरे राज्य में लागू है।
22	दिल्ली	दिल्ली में पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976 लागू किया गया है (अलग से एक अधिनियम विचाराधीन है)	यह पूरे राज्य में लागू है।
23	पुडुचेरी	पांडिचेरी सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 2000	यह पांडिचेरी के पूरे संघ राज्य क्षेत्र में लागू है।

<u>जिन राज्यों में सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है</u>

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
1	असम	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
2	गुजरात	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
3	केरल	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
4	मणिपुर	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
5	मेघालय	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
6	ओडिशा	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
7	राजस्थान	इस विषय पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है परंतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 198 में यह प्रावधान है कि मालिक अथवा निवासी की अनुमति के बिना और सरकारी सम्पत्ति के मामले में बोर्ड से लिखित में अनुमति के बिना कोई पोस्टर, बिल, प्लेकार्ड अथवा अन्य कागज अथवा विज्ञापन चिपकाना दंडनीय है जिसके लिए 20 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
8	उत्तर प्रदेश	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
9	पश्चिम बंगाल	पूर्व में पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिम बंगाल अधिनियम सं. XXI)। अब यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।
10	दादरा एवं नगर हवेली	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
11	दमन एवं दीव	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
12	लक्षद्वीप	कोई कानून/अधिनियम नहीं है

<u>अनुलग्नक-2</u>

..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री ..... द्वारा दीवार पर लिखे गए/ लगाए गए पोस्टरों/होर्डिंग/बैनरों आदि को दर्शाने वाला विवरण

गांव/शहर/स्थान का नाम .....

क्र. सं.	निजी सम्पत्ति के मालिक का नाम और पता, जिससे लिखित अनुमति ली गई है	दीवार पर लिखने अथवा होर्डिंग अथवा बैनर अथवा पोस्टर (दीवार पर लिखे गए विज्ञापन/ होर्डिंग/ बैनर/ पोस्टर) का आकार दर्शाया जाएगा	दीवार पर लिखे गए विज्ञापन/ होर्डिंग/ बैनर/ पोस्टर आदि पर किए गए व्यय अथवा किए जाने वाले व्यय का ब्योरा (रुपये)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 464/अनुदेश/2014/ईपीएस दिनांक: 10 अप्रैल, 2014

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विषय : **लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2014-निर्वाचनों के दौरान वाहनों के उपयोग पर समेकित अनुदेश-तत्संबंधी।**

महोदय/ महोदया,

सभी अभ्यर्थियों तथा अन्य हितधारकों को एक समान अवसर प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से और धनबल को विकृतकारी भूमिका पर अंकुश लगाने तथा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियन्त्रत रखने के लिए आयोग ने उपर्युक्त विषय पर पूर्व में अनेक अनुदेश जारी किए हैं। स्पष्टता एवं सुलभ सन्दर्भ के लिए इन्हें समेकित किया गया है और लोकसभा के साधारण/उप निर्वाचनों, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों तथा विधान परिषदों के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक/उप-निर्वाचनों के लिए अनुपालन एवं मार्ग दर्शन के लिए इन्हें पुन: जारी किया जा रहा है।

लागू होने की अवधि

2. ये निर्देश निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन पूरे होने तक लागू रहेंगे।

'सरकारी वाहनों' का अर्थ

3. सरकारी वाहनों का अर्थ होगा और इनमें ऐसा प्रत्येक वाहन शामिल होगा जो यांत्रिक ऊर्जा से चलता हो अथवा अन्य किसी प्रकार से, और जिसे यातायात के प्रयोजन से प्रयोग किया जाए अथवा प्रयोग किया जा सकता हो और इनमें (1) केंद्र सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, (4) केंद्र और राज्य के संयुक्त सेक्टर उपक्रम, (5) स्थानीय निकायों, (6) नगर निगमों, (7) नगरपालिकाओं, (8) विपणन बोर्ड (जिस भी नाम से जाने जाते हों), (9) सहकारी समितियों, (10) स्वायत्त जिला परिषदों अथवा किसी अन्य निकाय, जिसमें सार्वजनिक निधि, चाहे उसका हिस्सा कितना ही छोटा हो, का निवेश किया गया हो और रक्षा मंत्रालय के और गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक संगठनों के ट्रक, लौरी, टैम्पो, जीप, कार, ऑटो रिक्शा, बस शामिल होगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेश

4. **आयोग यह निर्देश देता है कि निर्वाचन के दौरान प्रचार, निर्वाचन अभियान अथवा निर्वाचन से संबंधित यातायात के लिए सरकारी वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।** किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन से संबंधित किसी प्रयोजन से (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकार, (iii) केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, (iv) केंद्र और राज्य के संयुक्त सेक्टर उपक्रम, (v) स्थानीय निकायों, (vi) विपणन बोर्ड, (vii) सहकारी समितियों, (viii) स्वायत्त जिला परिषदों अथवा किसी अन्य निकाय, जिसमें सार्वजनिक निधि, चाहे उसका हिस्सा कितना ही छोटा हो, का निवेश किया गया हो, के किसी भी वाहन जैसे ऑटोमोबाइल में हेलीकोप्टर, एयरक्राफ्ट (उपर्युक्त विषय पर आयोग के आदेश द्वारा किए गए विनियम को छोड़ कर), कार, जीप, बोट, होवरक्राफ्ट आदि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। (किसी निर्वाचन संबंधी आधिकारिक डयूटी करते हुए अधिकारी के अलावा)

5. आयोग आगे यह निर्देश देता है कि जिला प्रशासन यह देखने के लिए कि पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण से संबंधित किसी सरकारी वाहन का निर्वाचन अभियान के लिए उपयोग तो नहीं किया जा रहा, पर कड़ी निगरानी करेगा। यदि यह पाया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्थानीय निकायों सहित केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपर्युक्त वाहनों में से किसी वाहन का प्रयोग निर्वाचन अभियान के प्रयोजन से किया जा रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट अविलम्ब उचित

प्रक्रिया के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 के तहत निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी करने वाले अधिकारियों के प्रयोग हेतु निर्वाचन कार्य के लिए ऐसे वाहनों की मांग भेजेगा अथवा मांग भिजवाएगा। इस प्रकार मंगवाए गए वाहनों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक नहीं छोड़ा जाएगा।

स्पष्टीकरण

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध उन राज्यों के वाहनों पर भी लागू होगा जिनमें निर्वाचन नहीं हो रहा है परंतु जिनके वाहनों का उन राज्यों में प्रचार के लिए खुले तौर पर अथवा गुप्त रूप से प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है जहां निर्वाचन हो रहे हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य सचिव अपने राज्य में किसी वाहन के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और संबंधित विभाग में भारत सरकार का सचिव ,जैसा भी मामला हो, मंत्रालय/विभाग और उस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र कार्यालय अथवा संयुक्त सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा संबद्ध एवं अन्य कार्यालयों के किसी वाहन के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। जिन अधिकारियों को इन वाहनों का प्रभार दिया गया है वह भी किसी उल्लंघन के लिए समान रूप से जिम्मेदार होगा।

7. आगे यह स्पष्ट किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित किसी के भी द्वारा निर्वाचन से संबंधित प्रचार अथवा दौरों के लिए परंतु मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करके निर्वाचन कार्य के कथित तथा जाली रूप से अधिकारिक कार्य के सत्यापित उद्देश्य से भुगतान करके भी उपर्युक्त प्राधिकरणों के वाहनों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है।

अपवाद

8. इस प्रतिबंध में एकमात्र अपवाद प्रधानमंत्री और अन्य राजनैतिक व्यक्ति होंगे जिन्हें उग्रवादी तथा आतंकी गतिविधियों और उनके जीवन को खतरे को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है और जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता इस संबंध में संसद अथवा राज्य विधायिका द्वारा किए गए किसी सांविधिक प्रावधान के तहत निर्धारित की गई हों।

9. उपर्युक्त प्रतिबंध भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अन्य राज्यों से संबंधित राज्य का दौरा करने वाले ऐसे अन्य गणमान्य लोगों पर भी लागू नहीं होंगे। यद्यपि, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक सभा के

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपाध्यक्ष के मामले में लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समय ये प्रतिबंध लागू होगा परंतु विधान सभा निर्वान के दौरान नहीं।

10.(ए) आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि यदि इसे यह संदेह करने का कोई आधार नजर आता है कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 अथवा सरकार के किसी अन्य विशेष अधिनियम/निर्देश के तहत प्राधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किसी दल अथवा अभ्यर्थी के निर्वाचन हितों का प्रचार करने के इरादे से सुरक्षा आवश्यकता का प्रकट रूप से अथवा अनुचित रूप से आकलन किया गया है तो आयोग इस मामले को अविलम्ब तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित सरकार के ध्यान में लाएगा।

10.(बी) इस उद्देश्य से आयोग केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार से ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में किए गए सुरक्षा आवश्यकता के आकलन के संदर्भ में कोई सूचना मंगा सकता है। संबंधित सरकार द्वारा आयोग को यह सूचना अविलम्ब दी जाएगी।

वाहनों के काफिले पर प्रतिबंध

11. आयोग आगे यह निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा वाहनों के अलावा कारों/वाहनों को दस से अधिक वाहनों के काफिले में प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी बड़े काफिलों को टुकड़ों में प्रचालित किया जाएगा चाहे उनमें केंद्र अथवा राज्य सरकार का कोई मंत्री अथवा कोई अन्य व्यक्ति क्यों न हो। तथापि यह ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों के शर्ताधीन होगा।

12. यदि कोई व्यक्ति बड़े काफिले को टुकड़ों में किए बिना निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों के काफिले में चलता है तो यह स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करे कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे वाहनों के प्रयोग की अनुमति न दी जाए।

<u>नाम निर्देशन पत्र भरते समय:</u>

13. रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र में अधिकतम तीन वाहनों को आने की अनुमति दी जाएगी।

<u>निर्वाचन प्रचार उद्देश्य के लिए वाहनों का उपयोग:</u>

14. अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार उद्देश्य के लिए कितने वाहनों का उपयोग कर सकता है पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

15. किन्तु प्रचार अभियान शुरु होने से पूर्व उसे ऐसे वाहनों का विवरण तथा निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ उन्हें जिन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाएगा, की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट अधिकारी को देनी होगी जो आवश्यक जांच के उपरान्त परमिट जारी करेंगे। परमिट की मूल प्रति (न कि फोटो प्रति) वाहन की विन्द स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि परमिट की नाप ऐसी होनी चाहिए जिसे दूर से देखा जा सके। परमिट में वाहन का नम्बर, परमिट जारी करने की तारीख, अभ्यर्थी का नाम तथा क्षेत्र (जहां यह निर्वाचन प्रचार के लिए उपयोग में लाया जाएगा) का विवरण होना चाहिए।

16. किसी अतिरिक्त वाहन का प्रयोग इस संबंध में अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसे वाहन के प्रयोग से पहले नोटिस दिए जाने और उसके लिए प्राप्त अनुमति के बाद ही किया जा सकता है।

17. इस प्रकार प्राप्त विवरण की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय ऑब्जर्वर को दी जानी चाहिए ताकि वे जाँच कर सकें कि इस संबंध में व्यय उचित प्रकार से अभ्यर्थी के व्यय व्यय लेखे में शामिल किया गया है।

18. उपर्युक्त अधिकारियों के प्रमाणीकरण/अनुमति के बिना किसी वाहन का उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी के लिए अप्राधिकृत प्रचार माना जाएगा और इसके लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय IXक के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जा सकता है और इसलिए इसे अविलम्ब प्रचार प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

19. अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन को दी गई सूचना के अनुसार निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों की प्रशासन द्वारा मांग नहीं की जानी चाहिए।

20. यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के तहत दिए गए (1) स्पष्टीकरण के खंड (क) का लाभ लेते हुए राजनैतिक दलों के नेताओं अर्थात स्टार प्रचारक द्वारा सड़क परिवहन का माध्यम अपनाया जाना है तो परमिट केंद्रीय रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, चाहे उसी वाहन का प्रयोग किसी नेता द्वारा पूरे राज्य में निर्वाचन प्रचार के लिए किया जाना है अथवा ऐसे नेताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग वाहनों का प्रयोग किया जाना है। परमिट संबंधित स्टार प्रचारक के नाम से जारी किया जाएगा जो उसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे वाहनों की

विंडस्क्रीन पर इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार सीईओ द्वारा जारी किए गए परमिट अभ्यर्थियों के लिए डीईओ/आरओ द्वारा जारी किए जाने वाले परमिट से पूर्णतया अलग रंग के होंगे।

21. यदि कोई राजनैतिक दल निर्वाचन के उद्देश्य से जिले के अंदर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों को छोड़ कर) द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है तो डीईओ एक वाहन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। जारी किए जाने वाले परमिट में वाहन का नंबर, राजनैतिक नेता का नाम, और जितनी अवधि के लिए परमिट जारी किया गया है उसका उल्लेख होना चाहिए तथा अलग रंग का होना चाहिए ताकि इसे सरलता से पहचाना जा सके। परमिट की एक अभिप्रमाणित प्रति वाहन की विंडस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए और मूल प्रति व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसे पुलिस अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान दिखाया जाए। निगरानी दलों को भी इस संबंध में सूचित किया जाए।

22. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे वाहनों के लिए परमिट जारी कर सकते हैं जो केवल निर्वाचन प्रचार के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण राज्य में कहीं भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जिन राज्यों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 100 से अधिक हैं उनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकतम पांच वाहनों के लिए और शेष राज्यों में अधिकतम तीन वाहनों के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को परमिट जारी कर सकते हैं। इन वाहनों पर उपगत व्यय राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा न कि अभ्यर्थी द्वारा।

23. यदि कोई राजनैतिक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से राज्य में उनके विभिन्न पार्टी कार्यालयों में अपनी प्रचार सामग्री के वितरण के लिए वाहन की अनुमति देने का अनुरोध करता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (राष्ट्रीय/राज्यीय) के लिए एक वाहन के लिए अनुमति दे सकता है। तथापि संबंधित राजनैतिक दल (आवेदक) को उस जिले का नाम, मार्ग का नक्शा और तारीख का उल्लेख करना होगा जिसके लिए उपर्युक्त उद्देश्य से वाहन की आवश्यकता है। ऐसे वाहनों के लिए सीईओ अनुमति दे सकता है परंतु वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वाहनों को भी सामान्य जांच प्रक्रिया से जांचा जाए और उनका प्रयोग निर्वाचन प्रचार के लिए न किया जाए। ऐसे वाहन पर होने वाला व्यय राजनैतिक दल द्वारा उपगत किया जाएगा न कि अभ्यर्थी द्वारा।

24. प्रचार के लिए वीडियो-वैन के प्रयोग की अनुमति दिए जाने से पहले राज्यों में प्रचार के लिए किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रयोग की जाने वाली वीडियो-वैन आदि के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का इस प्रकार प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार है। इस संदर्भ में 2006 की रिट याचिका सं. 3648 (एमबी) में इलाहाबाद उच्च

न्यायालय के दिनांक 23.06.2006 और 14.02.2007 के निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। (प्रतिलिपियां संलग्न)

स्पष्टीकरण

25. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 में एक साइकिल रिक्शा को भी निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है तो अभ्यर्थी को इस पर होने वाला व्यय अपने निर्वाचन व्यय के खाते में दर्शाना होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त किए जा रहे ऐसे रिक्शों का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा की पहचान के लिए इसका नगरपालिका पंजीकरण/परमिट नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रिक्शा चालक को उसके नाम से परमिट दिया जाए जिसे रिक्शा चालक को निर्वाचन प्रचार के लिए रिक्शे का प्रयोग करते समय अपने पास रखना चाहिए। तथापि सामान्य रूप से यात्रियों को लाने-ले जाने के सामान्य उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे रिक्शों को छूट दी जा सकती है, यदि वे किसी अभ्यर्थी का नाम अथवा दल का चिह्न दर्शाते हुए एक पोस्टर प्रदर्शित कर रहे हों, जिसे माना जा सकता है कि वे ऐसा अपनी स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं।

मतदान दिवस पर वाहनों का उपयोग

26. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(5) में यह प्रावधान है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने और वापस लाने के लिए नि:शुल्क यातायात के लिए किसी अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाहनों को किराये पर लेने अथवा इनकी अधिप्राप्ति अथवा प्रयोग को 'भ्रष्टाचार' माना जाएगा और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के तहत एक दण्डणीय निर्वाचन अपराध है और अर्थ दंड दिया जा सकता है जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

27. इस प्रकार के आचरण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के दृष्टिकोंण से आयोग निम्नलिखित निदेश जारी करता है:-

(ए) लोक सभा निर्वाचन के लिए मतदान के दिन प्रत्येक प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी को निम्न सुविधाओं का अधिकार होगा:

(क) पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसके स्वयं के प्रयोग हेतु एक वाहन।

(ख) इसके अतिरिक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसके निर्वाचन अभिकर्ता के प्रयोग हेतु एक वाहन।

(ग) इसके अतिरिक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक विधान सभा सेग्मेंट में उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ताओं अथवा दल के कार्यकर्ताओं के प्रयोग हेतु एक वाहन।

(बी) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी को निम्न सुविधाओं का अधिकार होगा:

(क) उसके स्वयं के प्रयोग हेतु एक वाहन।

(ख) उसके निर्वाचन अभिकर्ता के प्रयोग हेतु केवल एक वाहन।

(ग) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वाहनों के लिए उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ताओं अथवा दल के कार्यकर्ताओं के प्रयोग हेतु केवल एक वाहन।

स्पष्टीकरण

28. यह स्पष्ट किया जाता है कि अब से अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा दल के कार्यकर्ताओं अथवा उसके कार्यकर्ताओं को केवल चौपहिया/तिपहिया/दुपहिया वाहनों अर्थात कार (सभी प्रकार की), टैक्सियों, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और दुपहिया वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी। इनमें मतदान के दिन चालक सहित 5 अथवा इससे कम व्यक्तियों वाले चौपहिया वाहनों के प्रचालन की अनुमति होगी। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के दिन अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के प्रयोग के लिए आवंटित वाहन का प्रयोग किसी और व्यक्ति को करने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता चालक सहित 5 अन्य व्यक्तियों को अपनी कार में साथ रख सकता है।

29. उपर्युक्त वाहनों के लिए परमिट जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित डीईओ/आरओ के पास मतदान दिवस पर उपयोग होने वाले अपने वाहन के विवरण अवश्य प्रस्तुत करने होंगे और जारी किए गए परमिट को वाहन की विंड-स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगा। मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं और अभ्यर्थी के समर्थकों सहित राजनैतिक दलों के नेताओं हेतु किसी अन्य वाहन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कोई अपवाद नहीं होगा, चाहे अभ्यर्थी किसी भी स्तर का हो।

वाहन का अर्थ

30. उपर्युक्त प्रतिबंध टैक्सियों, निजी कारों, ट्रकों, ट्रैलर के साथ अथवा ट्रैलर के बिना ट्रैक्टरों, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटरों, मिनी बसों, स्टेशन वैगन आदि सहित, परंतु इन तक सीमित नहीं, यांत्रिक ऊर्जा से चलने वाले अथवा अन्य प्रकार के सभी वाहनों पर भी लागू होगा और मतदान के बंद होने के लिए नियत समय से 24 घण्टे की अवधि के लिए तथा मतदान के समाप्न होने तक लागू होंगे।

31. उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई के अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता के अध्याय IXए के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों के उल्लंघन में प्रयुक्त सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

अपवाद

32. आयोग का मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और जनता के लिए परेशानी पैदा करने अथवा उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। निर्वाचन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन से उचित एवं वास्तविक प्रयोग के लिए मतदान के दिन निम्न प्रकार के वाहनों को प्रचालित करने की भी अनुमति होगी और इसका कोई अपवाद नहीं होगा:

(क) वाहन के मालिकों द्वारा निजी प्रयोग, जिसका निर्वाचन से कोई संबंध न हो, के लिए निजी वाहन;

(ख) वाहन के मालिकों द्वारा स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए मतदान करने हेतु मतदान बूथ पर जाने के लिए प्रयुक्त निजी वाहन, परंतु मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी स्थान पर जाने के लिए नहीं;

(ग) अनिवार्य सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन जैसे हॉस्पिटल वैन, एम्बुलेंस, मिल्क वैन, वाटर टैंकर, विद्युत आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी करने वाले अधिकारियों हेतु वाहन;

(घ) निर्धारित गंतव्य स्थलों के बीच और निर्धारित मार्ग पर चलने वाले सार्वजनिक यातायात के वाहन जैसे बसें;

(ड.) हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए और ऐसी यात्रा के लिए जिसे टाला नहीं जा सकता टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, रिक्शा आदि;

(च) बीमार अथवा विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्वयं के प्रयोग हेतु प्रयुक्त निजी वाहन।

(छ) अधिकारियों द्वारा अपने ड्यूटी प्वाइंट पर पहुचने के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन।

33. निर्वाचन प्रचार अभियान की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं और दल के नेताओं और समर्थकों द्वारा असमाजिक तत्वों को ले जाने ताकि निर्वाचकों के मन में डर पैदा हो सके और/या तो निर्वाचन के दौरान हिंसा फैलाने के उद्देश्य से अवैध हथियार और गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए निजी वाहनों के प्रयोग को देखते हुए, आयोग आगे यह निर्देश देता है कि जिला प्रशासन अवैध हथियार और शस्त्र रखने जैसी आपराधिक गतिविधियों सहित किसी संभावित हानिकारक प्रयास के लिए प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी और उसके दल के नेताओं के साथ चलने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर कड़ी निगरानी करेगा। यदि इनमें से कोई वाहन, किसी दल का अथवा किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व वाला, ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है अथवा निर्वाचकों को डराने अथवा उनके मन में भय पैदा करने की दृष्टि से असामाजिक तत्वों को ले जाते हुए पाया जाता है तो यह स्थानीय प्रशासन की ड्यूटी होगी कि ऐसे वाहनों को जब्त कर लें और निर्वाचन पूरा होने तक इन्हें न छोड़ें। इसके अतिरिक्त ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल वाहनों के स्वामी, प्रयोग करने वाले और अभ्यर्थी/राजनैतिक दल के खिलाफ कानून के तहत सख्त आपराधिक कार्रवाई भी की जाए।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें और इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव
ई-मेल :-smukherjee@eci.gov.in

अनुदेश क्रम सं.-16

मंत्रिमंण्डल सचिव, भारत सरकार तथा सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 5 मार्च, 2014 का पत्र सं. 437/6/1/2014-

विषय:- आदर्श आचार संहिता लागू होना-लोक सभा साधारण निर्वाचन-2014 और इसके साथ-साथ आन्ध्र

प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम राज्यों में राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन और कुछेक उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने लोक सभा तथा **आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन तथा कुछ राज्यों की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन** आयोजित करने हेतु अनुसूची की उद्घोषणा की है (प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/10/2014, दिनांक 5 मार्च, 2014 जो आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है)।

2. इस उद्घोषणा से राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और तब तक लागू रहेंगे जब तक साधारण निर्वाचन सम्पन्न न हो जाएं। इसे केन्द्र/राज्य सरकार, सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्द्र सरकार एवं राज्य की राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए।

3. आपका ध्यान विशेष रूप से राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सत्तासीन दल, चाहे केन्द्र में हो या राज्य में या संबंधित राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसी शिकायत के लिए कोई कारण न दिया जाए कि उसने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए शासकीय हैसियत का प्रयोग किया है और विशेष रूप से :-

(i) (क) मंत्री अपने शासकीय दौरे को निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य से नहीं मिलाएंगे और निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य के दौरान शासकीय क्षेत्र या कार्मिकों का उपयोग भी नहीं करेंगे;

(ख) शासकीय एयरक्राफ्ट, वाहनों मशीनरी एवं कार्मिकों सहित सरकारी परिवहन, का उपयोग सत्तासीन दल के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ii) निर्वाचन सभाओं को आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदानों आदि का उपयोग और निर्वाचनों के संबंध में एयरक्राफ्ट के लिए हैलीपैड का प्रयोग अपने द्वारा एकाधिकार रूप से नहीं किया जाएगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर ऐसे स्थानों एवं

सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन बातों एवं निबंधनों पर सत्तासीन दल द्वारा उनका उपयोग किया जाता है;

(iii) जहां के लिए निर्वाचनों की घोषणा हुई है या जहां निर्वाचन हो रहे हैं, वहां के विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवास को उपयोग करने के लिए किसी राज्य द्वारा जैड स्केल सुरक्षा प्रदान किए गए राजनीतिक पदाधिकारियों को या जिन्हें विभिन्न राज्यों में या केन्द्र सरकार में इससे ऊपर या इसके समकक्ष स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है, को एक समान आधार पर उपयोग करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसा आवास पहले से ही निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियों या प्रेक्षकों को आबंटित न हो या उनके कब्जे में न हो। सरकारी आवास गृह/आराम गृह या अन्य सरकारी आवास इत्यादि में ठहरने के समय ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे।

(iv) समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने और राजनैतिक समाचारों के दलगत कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय मास मीडिया के दुरुपयोग तथा सत्तासीन दल की प्रत्याशाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के बारे में प्रचार से निष्ठापूर्वक बचा जाना चाहिए;

(v) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा किए जाने के समय से विवेकाधीन निधियों में से अनुदानों/भुगतानों को स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और

(vi) आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा के समय से, मंत्री और अन्य प्राधिकारी -

(क) किसी रूप में कोई वित्तीय अनुदानों की उद्घोषणा नहीं करेंगे या उनके लिए वचन नहीं देंगे; या

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशीला नहीं रखेंगे (लोक सेवकों के सिवाय); या

(ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था आदि के बारे में कोई वचन नहीं देंगे; या

(घ) सरकार सार्वजनिक उपक्रमों आदि में तदर्थ नियुक्तियां नहीं करेगी जिनमें सत्तासीन दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रभाव हो।

4. जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3 {खंड ।V} से देखा होगा, सरकारी खजाने की लागत से सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। **यदि कोई विज्ञापन, प्रसारण या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी हो चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रानिक मीडिया में ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को तत्क्षण रोक दिया जाए और आज से ही ऐसा कोई विज्ञापन किन्हीं समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिंट मीडिया में प्रकाशित न किया जाए और इसे शीघ्र वापस ले लिया जाए -**

5. आयोग के दिनांक 5 मार्च, 2009 के अपने पत्र सं. 437/6/2009-सीसीबीई के तहत अनुदेश, आयोग की वेबसाइट (**http://eci.nic.in/**) पर उपलब्ध हैं जो आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 'निर्वाचन विधि एवं ईसीआई-अनुदेश' नामक शीर्षक के अन्तर्गत है।

6. आयोग इसके अतिरिक्त निदेश देता है कि निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूरी रोक होगी। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु वहीं तक सीमित नहीं होंगे:-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;

(ii) मंडल आयुक्त;

(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं निर्वाचनों के संचालन से संबंधित राजस्व अधिकारी;

(iv) निर्वाचनों के प्रबंधन से संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारी यथा, रेंज महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी यथा, पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अधीन आयोग में प्रतिनियुक्त हैं;

(v) निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से पूर्व उपर्युक्त श्रेणियों के अधिकारियों की बाबत जारी स्थानान्तरण आदेशों, किंतु जो आज की तारीख तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं, को इस संबंध में आयोग से विशिष्ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए;

(vi) यह रोक निर्वाचन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। आयोग आगे यह और निदेश देता है कि राज्य सरकार को राज्य में निर्वाचन के प्रबंधन में भूमिका वाले वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण करने से बचना चाहिए।

(vii) ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण किसी अधिकारी का स्थानान्तरण आवश्यक है, वहां राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृति के लिए पूर्ण औचित्य के साथ आयोग से संपर्क करना चाहिए।

7. कृपया पत्र की पावती भेजी जाए।

अनुदेश क्रम सं.-18

मंत्रिमण्डल सचिव, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित दिनांक 20.03.2014 का भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2014/सीसी एवं बीई।

विषय : लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण/उप-निर्वाचनों हेतु निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी वेबसाइट पर राजनैतिक नेताओं/मंत्रियों से सम्बन्धित सभी संदर्भों को हटाने संबंधी अनुदेश-तत्संबंधी।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के अपने पत्र सं. 437/6/2007(अनु.)-पीएलएन-III के द्वारा लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण/उप-निर्वाचनों हेतु निर्वाचन की अवधि के दौरान सरकारी वेबसाइट पर राजनैतिक नेताओं/मंत्रियों से सम्बन्धित सभी संदर्भों को हटाने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

यह आयोग के ध्यान में लाया गया है कि निर्वाचन अवधि के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा आयोग के उपरोक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थी के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता के खण्ड VII(iv) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि:-

''VII. ''सत्ताधारी दल

सत्ताधारी दल चाहे केन्द्र में हो या राज्य में या संबंधित राज्यों में वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किसी भी शिकायत के लिए ऐसा कोई कारण न दिया जाए जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन प्रचार अभियान के उद्देश्य हेतु अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया हो और विशेष रूप से

(iv) समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी राजकोष की लागत पर विज्ञापन जारी करना और सत्ता दल की संभावनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से उपलब्धियों से संबंधित राजनीतिक समाचारों और पक्षपात पूर्ण प्रचार के कवरेज हेतु निर्वाचन के दौरान सरकारी जन मीडिया के दुरूपयोग से अधिक सावधानीपूर्वक बचा जाना चाहिए''।

आयोग ने विभिन्न विभागों और सरकारी संस्थाओं से संबंधित मंत्रालयों के कार्यालयों की वेबसाइट और राज्य सरकारों की वेबसाइट में उपलब्ध विद्यमान संदर्भों के मुद्दे पर विचार किया है जिनमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों को उजागर किया है किन्तु राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों की निजी उपलब्धियों के रूप में उनका गुणगान किया गया है।

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में चल रहे लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों से संबंधित उस अवधि के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू हो तब ऐसे सभी

केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनैतिक दलों के सभी संदर्भों को हटा दिया जाए।

आयोग के उपरोक्त अनुदेशों को कड़े अनुपालन हेतु कृपया सभी संबंधितों को संसूचित किया जाए।

नया अनुदेश

पेड न्यूज तथा संबंधित मामले पर अनुदेशों का सार संग्रह (सितम्बर-2015)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.491/एमसीएमसी/2014/संचार दिनांक: 24 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन का प्रमाणीकरण-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

उद्धृत विषय पर मुझे आयोग के दिनांक 15.04.2004(प्रतिलिपि संलग्न) के पत्र द्वारा जारी आदेश को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2004 के परिणामस्वरूप जारी किया गया था। आयोग के उक्त आदेश के पैरा 5 में यह निदेशित किया गया था कि प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल तथा/अथवा केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग/ निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट अधिकारी को ऐसे विज्ञापन के प्रसारण के प्रस्तावित आरंभ किए जाने की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन के साथ इसकी सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रति सहित प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में संलग्न की जाएंगी।

तद्नुसार आयोग ने जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) की नियुक्ति की तथा सभी पंजीकृत राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दल, ऊपर निर्दिष्ट आयोग के उक्त आदेश का अनुसरण करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया(जिसमें टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो तथा निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो वीडियो डिस्प्ले तथा इंटरनेट) पर जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित अपने राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए इन एमसीएमसी, जैसी भी स्थिति हो, से सम्पर्क करते हैं।

अब, राजनीतिक दलों/ अभ्यर्थियों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, आयोग ने उक्त आदेश के पैरा-10(झ) में शिथिलता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया है कि विद्यमान प्रक्रिया को अपनाए जाने के अतिरिक्त, राजनितिक दल/अभ्यर्थी, यदि वे ऐसा चाहें तो, वैकल्पिक प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित विज्ञापन की प्रतिलिपि पहले प्रस्तुत कर सकते हैं और समिति द्वारा प्रतिलिपि की जांच कर लिए जाने/अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात,

पार्टी/अभ्यर्थी अंतिम रूप से प्रमाणीकरण के लिए दूसरी बार इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइनल प्रोडक्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. ऐसी स्थिति में, प्रत्येक स्तर के लिए समय-सीमा विद्यमान आदेश के अनुसार होगी।
3. इसे जिले तथा राज्यों में सभी एमसीएमसी के नोटिस में लाया जाए। इस बात पर विचार करते हुए कि एमसीएमसी का कार्य बढ़ने की संभावना है, इसलिए समिति में आनुपातिक रूप से अतिरिक्त सहायक स्टॉफ की तैनाती की जाए।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि: सभी मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल(संलग्न सूची के अनुसार)।